

मूल वाद में डिक्री

प्रपत्र 5

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मावली जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी: श्री जितेन्द्र ओझा, R.A.S

उनवान

1. श्री खेमा पिता स्व. गोकुल जाट निवासी थामला तह. मावली।
2. श्री चैना पिता स्व. गोकुल जाट निवासी थामला तह. मावली।
3. श्री डालु पिता स्व. गोकुल जाट निवासी थामला तह. मावली।
4. श्री नारु पिता स्व. गोकुल जाट निवासी थामला तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम

1. श्री माधुलाल पिता रूपा जाट निवासी थामला तह. मावली।
2. श्री लालुराम पिता रूपा जाट निवासी थामला तह. मावली।
3. श्री इन्दरलाल पिता रूपा जाट निवासी थामला तह. मावली।
4. श्री गोदुलाल मुतबन्ना उदा जाट निवासी थामला तह. मावली।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत :- 88 रा.का.अधि.
मुकदमा नम्बर : 157/17 वाद
निर्णय दिनांक : 10.02.2018

वादीगण व प्रतिवादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10.02.2018 को जितेन्द्र ओझा, R.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - मौजा थामला पटवार हल्का थामला की आ.न. 457 रकबा 11 बिस्वा भूमि में राजीनामा अनुसार वादीगण को 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

यह आज तारीख 10.02.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई

(जितेन्द्र ओझा)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर मावली